रेल सुरक्षा बल का मिशन स्टेटमेंट

हम :

- रेल यात्रियों, यात्री परिसर और रेल संपत्ति की सुरक्षा और देख भाल करेंगे.
- संरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाली यात्रियों का विश्वास बढ़ाएंगे

उद्देश्य

हम :

- रेल यात्रियों, यात्री परिसर एवं रेल संपंत्ती को अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे.
- रेल गाड़ियों में, रेलवे परिसरों और यात्री परिसर से सभी असामाजिक तत्वों को हटाकर यात्री और यात्रा सुरक्षित एवं सुगम बनाना.
- महिलाओं और बच्चों के तस्करी को रोकने के लिए सतर्क रहें और रेलवे क्षेत्रों में पाए जाने वाले निराश्रित बच्चों के पुनर्वास के लिए उचित कार्रवाई करना.
- भारतीय रेलवे की दक्षता और छवि को बेहतर बनाने में रेलवे के अन्य विभागों के साथ सहयोग करना.
- सरकारी रेलवे पुलिस / स्थानीय पुलिस और रेलवे प्रशासन के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना.
- इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी आधुनिक प्रौद्योगिकी, सर्वोत्तम मानव अधिकार प्रथाओं, प्रबंधन तकनीकें और महिला और बुजुर्ग यात्रियों और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय अपनाना.

<u>यात्री सुरक्षा में आरपीएफ की भूमिका</u>

रेल सुरक्षा बल विभिन्न प्रणालियों से उभरा है; इसके अस्तित्व के कई रूप हैं और काम करने के कई तरीके हैं क्योंकि ब्रिटिश भारत में रेलवे कंपनियां काम करने की एकरूपता प्रदान करने के लिए थीं, 1959 में रे.सु.ब नियम और रे.सु.ब. विनियम 1966 में प्रकाशित किए गए थे. उसी वर्ष, रेल संपत्ति में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की कुछ सीमित शक्तियाँ रेल संपत्ति (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1966 को लागू करके बल को प्रदान किया गया. मुख्य रूप से रेल सुरक्षा बल को रेल संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. लेकिन, जब रेल सुरक्षा बल अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत एक प्रभावी और अनुशासित बल का रखरखाव करना था, तब रेल सुरक्षा बल नियम और विनियम भी न्यायिक रूप से निराधार पाए गए. रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 को संसद के 1985 के अधिनियम सं.60 के अनुसार 20 सितंबर, 1985 को संघ के सशस्त्र बल के गठन और रखरखाव के लिए संशोधित किया गया था.

समिति ने सिफारिश की कि चूंकि रेलवे पर पुलिसिंग राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसलिए रेल यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित कुछ मामलों को पुलिस कार्यों से अलग किया जा सकता है और रेल सुरक्षा बल को दिया जा सकता है.

समिति ने यह भी सिफारिश की कि रेल सुरक्षा बल को यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित अतिरिक्त कर्तव्य दिए जा सकते हैं :

1. संवेदनशील क्षेत्रों में यात्री गाड़ियों की मार्गरक्षण .
2. यात्री क्षेत्रों और परिसंचारी क्षेत्रों में, प्लेटफार्मों पर पहुंच नियंत्रण, विनियमन और सामान्य सुरक्षा प्रदान करना.

रेल मंत्रालय ने समिति की उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया. तदनुसार, रेलवे अधिनियम / रेसुब अधिनियम के एक संशोधन द्वारा रेसुब को अपराधों से निपटने के लिए अधिकार दिया गया है, जो सीधे तौर पर रेलवे के कामकाज से संबंधित है, क्योंकि पुलिस, कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों के साथ व्यस्त है और इनके लिए छोटे अपराधों को निपटने के लिए बहुत कम समय होता है. यह इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में रेसुब अधिनियम और रेलवे अधिनियम में संशोधन किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे पर यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का सार्थक बनाना है. रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 में इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों को देने के लिए, रेलवे संपत्ति, यात्री परिसर एवं यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेसुब को और अधिक कानूनी शक्तियां प्रदान करने के लिए 23 दिसंबर, 2003 को संसद के अधिनियम 2003 की संख्या सं. 52 द्वारा फिर से संशोधित किया गया था.

नवीकृत संशोधनों को ध्यान में रखते हुए रे.सु.ब को निम्नलिखित कर्तव्य सौंपे गए हैं:

1. रेल संपत्ति, यात्री परिसर और यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा करना.
2. रेल संपत्ति या यात्री परिसर में किसी भी प्रकार के अवरोध को हटाना और
3. रेल संपत्ति, यात्री परिसर और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए अनुकूल कोई अन्य कार्य करना.

इसके अलावा, यह महसूस किया गया कि रेलवे अधिनियम के तहत मामलों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, रेल सुरक्षा बल को रेलवे अधिनियम के तहत् अपराध करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पूछताछ करने और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए और तदनुसार रेलवे अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि रेल सुरक्षा बल को अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया जा सके.

निम्नलिखित कारणों से उपरोक्त संशोधन करना आवश्यक था:-

1. रेल सुरक्षा बल यात्री और उसके सामान को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होगा, जो बेहतर यात्री सुविधा सुनिश्चित करेगा.
2. स्टेशनों पर अभिगम नियंत्रण को अधिक प्रभावी तरीके से विनियमित किया जा सकता है और यात्री परिसर और संचालन क्षेत्र में प्लेटफार्मों पर सामान्य सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा.
3. रेलवे अधिनियम के तहत सशक्तीकरण अधिक सुगम गाड़ी परिचालन सुनिश्चित करेगा क्योंकि रेलवे अधिनियम के कई धाराएं परेशानी मुक्त गाड़ी परिचालन के उद्देश्य से हैं.
4. रेल सुरक्षा बल को नई ज़िम्मेदारियाँ सौंपने का अर्थ यह है कि मानव संसाधनों को सर्वोत्तम रूप से उपयोग करना.
5. रेल सुरक्षा बल यात्रियों के खिलाफ किसी भी संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए कदम उठा सकेगा और इस तरह के अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए कानूनी रूप से सशक्त भी होगा.

रेल सुरक्षा बल एवं रेलवे अधिनियम में संशोधन की शुरुआत के साथ, रेसुब को रेलवे अधिनियम के मामलों में जांच करने की शक्तियों के साथ निहित किया गया है. रेसुब ने उस चुनौती को स्वीकार कर ली है.

सरकारी रेलवे पुलिस की भूमिका

सरकारी रेलवे पुलिस के कर्तव्य, जहां तक उनके अधिकार क्षेत्र के क्षेत्रों का संबंध है, जो सामान्यतः उनके प्रभार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जिला पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अनुरूप होता हैं. इसके अलावा सरकारी रेलवे पुलिस के निम्नलिखित विशेष कर्तव्य भी शामिल हैं :

(i) रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, "व्यवस्था" कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ए. स्टेशन परिसरों यानि मुख्य रूप से प्लेटफार्मों, बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षा कक्ष, प्रवेश एवं निकास द्वारों पर तथा जहां भी स्टेशन अधिकारियों द्वारा आपातकालीन स्थिति में विशेष रूप से अपेक्षित हो वहाँ पर यात्री यातायात नियंत्रण करना.
- बी. स्टेशन परिसररों में वाहन एवं अन्य यातायात का नियंत्रण.
- सी. स्टेशनों पर रुकी हुई यात्री गाड़ियों में वयवस्था बनाए रखना और गाड़ियों में अधिक भीड़ की रोकथाम आदि.
- डी. स्टेशन पर रुके हुए भरी हुई यात्री गाड़ियों का पर्यवेक्षण
- ई. उपद्रव करने वाले अपराधी व्यक्तियों की गिरफ्तारी, संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को हटाना और स्टेशन परिसरों को भिखारियों से मुक्त रखना
- जी. टर्मिनल स्टेशनों पर पहुंचने पर, खाली गाड़ियों की जांच करना ताकि यात्रियों द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं की जांच की जा सके और साथ ही गाड़ियों का निरीक्षण किया जा सके कि फिटिंग के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है.
- एच. रेलगाड़ी या स्टेशन परिसरों में मृत व्यक्तियों को हटाना तथा बीमार यात्रियों को अस्पताल पहुंचाना.

i. रेलवे अधिनियम के तहत उचित अधिकारियों रेलवे या सिविल को अपराधों और रेल कर्मियों की ओर से धोखाधड़ी या उत्पीड़न के मामले की रिपोर्ट करने के लिए

ii. रेलवे पर होने वाली दुर्घटनाओं की पूछताछ करना

iii. रेलवे अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए और अब तक यात्रा करने वाली जनता को सहायता के लिए पुलिस अधिकारियों के रूप में अपने स्वयं के कर्तव्यों के साथ संगत है.

रेलवे पर अपराध की रोकथाम और उसे पता लगाने के लिए आम तौर पर सरकारी रेलवे पुलिस जिम्मेदार होती है. स्टेशनों और पार्सल कार्यालयों में माल-शेड, माल-वैगन की सुरक्षा रेलवे पुलिस की नहीं, बल्कि रेल सुरक्षा बल की है.

कर्मचारियों की स्थिति: (राजपत्रित एवं लिपिकवार्गीय के अलावा)

क्र.सं.	विंग	कुल मंजूरी पद								
		निसुब	उपनिसुब	सउपनिसुब	प्रधान कानस्टेबल	कानस्टेबल	सफाई-वाला	प्र. रसोईया	वाटर कैरियर	कुल
1	कार्यकारी	9	14	21	67	116	0	0	0	227
2	एसआईबी यूनिट	0	1	3	2	3	0	0	0	9
3	श्वान दस्ता	0	0	1	2	3	0	0	0	6
4	सहायक	0	0	0	0	0	1	1	1	3
5	ड्राइवर	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	कुल	9	15	25	71	122	1	1	1	247

परिक्षेत्र

गुंटूर मंडल :

से	तक	दूरी कि.मी.	लाइन	कर्षण
कृष्णा केनाल जं.(छोडकर)	गुंटूर जं.	25.36	दोहरी	विद्युत
गुंटूर जं.	सातलूरु	34.00	दोहरी	विद्युत
तेनाली जं. (छोडकर)	गुंटूर जं.	24.27	दोहरी	विद्युत
नल्लपाडु जं.	पगिडिपल्ली जं. (छोडकर)	238.49	इकहरी	विद्युत
नल्लपाडु जं.	नंद्याल (मिलाके)	256.91	इकहरी	विद्युत
रेपल्ले	तेनाली जं. (छोडकर)	32.06	इकहरी	विद्युत
नडिकुडि जं.	माचर्ला	35.10	इकहरी	विद्युत
विष्णुपुरम	जानपहाड	10.64	इकहरी	विद्युत
न्यू पिडुगुराल्ला	सावल्यपुरम	44.00	इकहरी	विद्युत
गुंटूर बाईपास लाइन		1.94	इकहरी	विद्युत
कुल की.मी.		702.77		

रे.सु.ब चौकी का परिक्षेत्र

चौकी	से	तक	दूरी कि.मी
गुंटूर	कृष्णाकेनाल	नुदुरुपाडु	55
	गुंटूर	रेपल्ले	56
	नल्लपाडु	सत्तेनपल्ली	37
नरसरावपेट	नुदुरुपाडु	कंबम	142
	कुंकालागुंटा	सावल्यपुरम	24
नंद्यूल	कंबम	नंद्याल	94
पिडुगुराल्ला	सत्तनेपल्ली	पोंदुगल्ला	70
	नडुकुडि	माचर्ला	35
	पिडुगुराल्ला	नेमलिपुरि	21
नलगोंडा	पोंदुगल्ला	पगिडिपल्ली	130
	विष्णुपुरम	जानपहाड	11
			675

आधुनिक उपकरण

क्र.सं	उपलब्ध कराये गये उपकरण के नाम	स्थापना का स्थान	अभ्युक्तियां
01	नाइट विजन उपकरण	सभी चौकी एवं आउट चौकी	उपलब्ध:15
02	एचएचएमडी	सभी चौकी एवं आउट चौकी	उपलब्ध:18
03	ट्रॉली मिर्र	गुंटूर चौकी-1	उपलब्ध :08
04	फोल्डिंग स्ट्रक्चर	सभी चौकी	उपलब्ध:19
05	पॉली कार्बोनेट लाठी	सभी चौकी एवं आउट चौकी	उपलब्ध:193
06	पॉली कार्बोनेट शील्ड	-वहीं -	उपलब्ध:62
07	नाइलॉन रस्सी	-वहीं -	9800 मीटर
08	वीएचएफ सेट	सभी चौकी एवं आउट चौकी	उपलब्ध:05
09	इमर्जेन्सी लाइट	सभी चौकी एवं आउट चौकी	उपलब्ध:04
10	पॉलीएस्टर टेंट	-वहीं-	उपलब्ध :10
11	फ्लोरोसेंट टेप	-वहीं-	5800 मीटर
12	फिंगर प्रिन्ट किट	सभी चौकी एवं आउट चौकी	उपलब्ध :29
13	पॉलीकार्बोनेट हेल्मेट	गुंटूर	उपलब्ध :35
14	डिजिटल हैंडी कैम	गुंटूर एवं नंद्याल	उपलब्ध:02
15	शीन गार्ड	सभी चौकी एवं आउट चौकी	उपलब्ध:50
16	फ्री गो स्कूटर	गुंटूर	उपलब्ध:2
17	टार्च	सभी चौकी एवं आउट चौकी	उपलब्ध :79
18	टैब	चौकी	उपलब्ध:15
19	बॉडी प्रोटेक्टर	सभी चौकी एवं आउट चौकी	उपलब्ध:61

सीसीटीवी

सीसीटीवी:

गुंटूर मंडल के तीन स्टेशनों पर सीसीटीवी प्रणाली की व्यवस्था की गई है. सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का विवरण निम्न प्रकार है.

क्र.सं.	चौकी/बाहरी चौकी	कुल सीसीटीवी कैमेरा
01	गुंटूर-चौकी	40
02	नंद्यान-चौकी	11
03	नलगोंडा - चौकी	09
कुल		60

टिप्पणी: निर्भया फंड के अंतर्गत डी, ई एवं एफ श्रेणी के अंतर्गत कुल 54 स्टेशनों पर 540 कैमरे लगाने का प्रस्ताव है, यह मामला वरिष्ठ मंडल सिगनल दूरसंचार इंजीनियर के पास लंबित है.

आर.पी.एफ. का कार्य निष्पादन

आरपी (यूपी) अधिनियम

वर्ष	पंजीकृत मामलें की संख्या	पता लगाए गए मामलों की संख्या	चुराए गए सम्पत्ति का मूल्य रु.	बरामद संपत्ति का मूल्य	की गयी गिरफ्तारियां		
					ओएस	आर.ई	रेसुब
2022	17	17	1,96,061/-	1,96,061/-	45	--	--
2023	25	25	91,21,547/-	91,21,547/-	73	02	--
जून 2024 तक	12	12	3,15,841/-	3,15,84 1/-	44	--	--

रेलवे अधिनियम

वर्ष	पंजीकृत मामलें की संख्या	जुर्माने के रूप में वसूल की गई राशि
2022	2325	10,82,650/-
2023	3486	9,29,350/-
जून 2024 तक	1964	1,95,300/-

उठाईगिरि (टाउट) गतिविधीयों के अंतर्गत निष्पादन

माह&वर्ष	पंजीकृत मामलें की संख्या.	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की सं.	जब्त किये गये टिकट की संख्या		जब्त किये गये टिकटों का मूल्य		ब्लॉक किए गए आईआरसीटीसी उपयोगकर्ता आईडी की संख्या
			भविष्य की यात्रा	आतीत की यात्रा	भविष्य की यात्रा	आतीत की यात्रा	
2022	16	16	52	463	68,803/-	5,74,336/-	84
2023	15	15	42	159	53,345/-	2,24,222/-	72
जून 2024 तक	09	09	53	342	1,20,691/-	7,97,863/-	201

"रेल मदद" सुरक्षा हेल्पलाइन-139

मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में "यात्री सुरक्षा हेल्प लाइन" 02 लाइनों की सुविधा के साथ स्थापित की गई. ऑन ड्यूटी कर्मचारी ने "रेल मदद" सुरक्षा हेल्प लाइन के जरिये आनेवाले सभी कॉलों का जवाब देते है, आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्रभारी अधिकारी को सूचित कर रहे हैं और तदनुसार ऑनलाइन के माध्यम से ही हल कर रहे हैं.

अच्छे कार्य

बच्चों का बचाव:

वर्ष	बचाव किए गए बच्चों की संख्या
2022	96
2023	135
2024 (जून तक)	60

रेल सुरक्षा बल कर्मचारियों ने उन बच्चों को बचाव करते है जिन्होंने अपने घर से चेले गए थे या भाग गए थे. उक्त बच्चों को उनके माता-पिता एवं चाइल्ड हेल्प लाइन केंद्रों को सौंप देते है.

पुनः प्राप्त की गयी माल:

वार्ष	मामलों की संख्या	मुल्य रु.
2022	21	4,21,110/-
2023	106	55,23,702/-
2024 (जून तक)	75	14,95,079/-

रे.सु.ब. कर्मचारियों ने पावती के साथ सभी सामानों को उनके मालिकों को सौंप दिया है. सभी यात्रियों ने रे.सु.ब. विभाग द्वारा की गई उक्त सेवाओं की प्रशंसा की है.

*****